

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग
अधिसूचना

एस०ओ० दिनांक न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा-3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल यह घोषणा करते हैं कि एतद् संबंधी अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित नियोजनों में (इसके आगे उक्त अनुसूचित नियोजनों में विनिर्दिष्ट) नियोजित कर्मचारियों के प्रायोज्य मूल्य सूचकांक अनुसूची के स्तम्भ-3 में प्रदर्शित मासों के लिए उक्त अधिनियम की धारा-2 के खण्ड (डी) के प्रयोजन के निमित्त अनुसूची के स्तम्भ-4 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

क्रम सं०	अनुसूचित नियोजनों के नाम	माह एवं वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100)
1	2	3	4
1	बाँध निर्माण एवं सिंचाई कार्यों के नियोजन	जुलाई, २०१५	२६३
2	पकाई हुई खाद्य वस्तु बेचने वाली दुकानों के नियोजन	अगस्त, २०१५	२६४
3	चर्म शोधनालय और चर्म विनिर्माणशालाओं के नियोजन	सितम्बर, २०१५	२६६
4	कोल्ड स्टोरेज के नियोजन	अक्टूबर, २०१५	२६९
5	डिस्टिलरीज के नियोजन	नवम्बर, २०१५	२७०
6	पाँट्रीज के नियोजन	दिसम्बर, २०१५	२६९
7	बेकरीज एवं कनफेक्शनरीज के नियोजन	कुल	१६०१
8	को-ऑपरेटिव सेक्टर के नियोजन	छ : माह का औसत	$\frac{१६०१}{६}$
9	अल्पमिनियम उद्योग के नियोजन		= २६६.८३ या २६७.००
10	खण्डसारी उद्योग के नियोजन	पुनरीक्षित / निर्धारित बिन्दु अर्थात् प्रतिशत-वृद्धि	२५३
11	कैमिकल एण्ड फर्मास्युटिकल उद्योग के नियोजन		२६७-२५३=१४
12	साबुन निर्माण उद्योग के नियोजन		५.५३%की वृद्धि
13	सिमेन्ट ग्री-स्टेस्ट प्रोडक्शन उद्योग के नियोजन		
14	एसबेस्टस सिमेन्ट कारखाना के नियोजन		
15	ग्लास सीट निर्माण के नियोजन		
16	बन्दुक कारखाने के नियोजन		
17	धार्मिक एवं सामाजिक संस्थान के नियोजन		

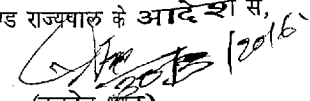
1	2	3	4
18	पेपर उद्योग के नियोजन		
19	लॉण्ड्री एवं वाशिंग के नियोजन		
20	होजियारी निर्माण के नियोजन		
21	सिन्दुर एवं रंग बनाने का उद्योग के नियोजन		
22	चर्म-वस्तु निर्माण के नियोजन		
23	उड वर्क्स एवं फर्निचर के नियोजन		
24	आइस्क्रीम एवं कोल्ड ड्रिक्स के नियोजन		
25	पेट्रोल एवं डीजल पम्प्स के नियोजन		
26	फिशरीज के नियोजन		
27	खादी ग्रामोद्योग के नियोजन		
28	प्राइवेट फेरिज एण्ड एल०टी०सी० के नियोजन		
29	हार्ड कोक भट्ठा के नियोजन		
30	निजी अस्पताल नर्सिंग होम्स एवं क्लीनिक्स के नियोजन		
31	सड़क के निर्माण या अनुरक्षण अथवा निर्माण कार्यों के नियोजन		
32	मुद्रणालय के नियोजन		
33	अवरख कार्यों (खादानों को छोड़कर कारखाने एवं प्रतिष्ठान) के नियोजन		
34	हैण्डलूम उद्योग के नियोजन		
35	स्वर्ण एवं रजत आभूषण तथा कलापूर्ण सामग्रियों के निर्माण के नियोजन		
36	रिफ्रेक्ट्रीज फायर ब्रिक्स एवं सिरामिक्स उद्योग के नियोजन		
37	किसी दुकान अथवा प्रतिष्ठान के नियोजन		
38	पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट के नियोजन		
39	किसी विश्वविद्यालय, शैक्षणिक शोध अथवा सांस्कृतिक संस्थान के नियोजन		
40	होटल, भोजन गृहों एवं रेस्तराओं के नियोजन		
41	ऊनी कालीन बनाने वाले या शाल बुनने वाले किसी प्रतिष्ठान के नियोजन		
42	डेयरी एवं पोल्ट्री फार्म्स के नियोजन		
43	ऑटो मोबाइल इंजीनियरिंग शॉप के नियोजन		

1	2	3	4
44	सिनेमा उद्योग के नियोजन		
45	चावल मिलों, आटा मिलों, दाल मिलों के नियोजन एवं तेल मिलों के नियोजन		
46	सिलाई उद्योग के नियोजन		
47	रबर एवं रबर कम्पाउन्ड उद्योग (जिसमें टायर एवं ट्यूब का निर्माण भी सम्मिलित है) के नियोजन		
48	बिजली एवं अन्य प्रकार के बल्ब तथा फ्लोरोन्स ट्यूब निर्माण उद्योग के नियोजन		
49	प्लास्टिक उद्योग के नियोजन		
50	सिमेन्ट से ह्यूम पाईप, बिजली का खम्भा एवं रेलवे स्लीपर बनाने के उद्योग के नियोजन		
51	कृषि नियोजन		
52	जिल्दसाजी उद्योग के नियोजन		
53	शीशा उद्योग (ग्लास शीट को छोड़कर) के नियोजन		
54	दफती, कार्डबोर्ड, पिल बोर्ड, कारगटेड बोर्ड, एस्ट्रा बोर्ड या गत्ता पेपर बोर्ड निर्माण के नियोजन		
55	इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के नियोजन		
56	प्लाइउड उद्योग के नियोजन		
57	ढलाई (फाउन्ड्री उद्योग) के नियोजन		
58	बिस्कुट उद्योग के नियोजन		
59	कोल ब्रिकेट उद्योग के नियोजन		
60	प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी के नियोजन		
61	लघु अभियंत्रण उद्योग (स्वचालित अभियंत्रण दुकानों को छोड़कर) के नियोजन		
62	मिनरल ग्राइडिंग के नियोजन		
63	बुहारने और सफाई का कार्यों के नियोजन		
64	स्पंज आयरन छड़ निर्माण एवं लोहा से एंगल बनाने तथा इनगोट के नियोजन		
65	मोटर गैराज एण्ड वर्क्स शॉप्स के नियोजन		
66	मोटर बॉडी बिल्डिंग के नियोजन		
67	मेस, कैन्टीन एवं क्लब के नियोजन		
68	चार्टर्ड/कास्ट एकाउन्ट्स/ऑडिटर/टैक्स कंसल्टेंसी एण्ड आर्किटेक्ट के नियोजन		

1	2	3	4
69	प्राइवेट तकनीकी संस्थान, कोचिंग इंस्टीच्यूट, निजी स्कूल आदि के नियोजन (शिक्षण कार्य छोड़कर)		
70	जमीन के नीचे वाटर सप्लाई पाईप लाईन एवं केबुल बिछाने के नियोजन		
71	इलेक्ट्रीसिटी जेनरेटर एण्ड सप्लाई के नियोजन		
72	पंडाल आदि का साज सज्जा आदि के नियोजन		
73	ग्राइडिंग एण्ड क्रशिंग ऑफ मिनरल ओर के नियोजन		
74	सवारी एवं माल वाहक वाहन चलाने वाले ड्राइवर/खलासी/परिचालक आदि के नियोजन		
75	कम्प्यूटर शिक्षा संस्थान आदि के नियोजन		
76	मोबाईल टावर इत्यादि के संचालन के कार्य		
77	विक्रय प्रोत्साहन कर्मचारी (सेवा की शर्तों) अधि० 1976 से आच्छादित नियोजन		

परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होंगी, जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता की दरें निर्धारित/ पुनरीक्षित की गई हैं। उपर्युक्त सूचकांक में यथा स्थिति वृद्धि अथवा ह्रास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तम्भ-4 में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जाएगी और उसे परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता का अंश समझा जाएगा। परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाए जिस पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई हैं, तो उक्त अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित परिवर्तनशील मंहगाई भत्तों की दरों में कमी नहीं होगी। परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता का भुगतान उपर्युक्त दर से, जो जुलाई-दिसम्बर, २०१५ (वर्ष २०१५ का द्वितीय अर्द्धांश) के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर आधारित है, दिनांक ०१.०४.२०१६ की तिथि से देय होगा।

(संख्या-2/एम०डबल्यू०-2071/2010,श्र०नि०-580 राँची, दिनांक 31/3/16)

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

 (बुद्धदेव भट्टा)
 सरकार के अवर सचिव।

अधिसूचना

एस०ओ०.....दिनांक का अंग्रेजी भाषा में निम्नांकित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड-3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(संख्या-2/एम०डब्लू०-2071/2010,श्र०नि०-581 राँची, दिनांक 31/3/16)

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से, 16

(बुद्धदेव मंगत)

सरकार के अवर सचिव।

NOTIFICATION

S.O...../ dated/ In exercise of the powers conferred by section-3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), the Governor of Jharkhand is pleased to declare that the consumer price index number applicable to the employees employed in employments mentioned in column-2 of the schedule below here to appended (herein after referred to as the scheduled employment) for the months shown in column-3 of the said schedule shall be as shown in column-4 of the schedule-1 for the purpose of clause (d) of section-2 of the said Act.

Sl. No.	Scheduled Employment	Month & Year	All India Consumer Price Index No. (2001=100)
1	2	3	4
1	Dam Construction and Irrigation	July, 2015	263.00
		August, 2015	264.00
2	Shops Selling Cooked food stuff	September, 2015	266.00
3	Tanneries and Leather Manufactory	October, 2015	269.00
4	Cold Storage	November, 2015	270.00
5	Distilleries	December, 2015	269.00
6	Potteries	Total- Average	1601.00
7	Bakeries and Confectionaries		1601.00
8	Co-Operative Sector		6
9	Aluminum Industry		= 266.83 or 267.00
10	Khandsari Industry		267-253=14 Points =5.53% increase

1	2	3	4
11	Chemical Pharmaceutical Industry		
12	Soap Making Industry		
13	Cement Pre-Stressed Product Industry		
14	Asbestos Cement factory		
15	Glass Sheet Industry		
16	Gun factory		
17	Religious and Social Industry		
18	Paper Industry		
19	Laundry and Washing		
20	Hosieries Manufacturing		
21	Manufacture of Sindur and Rang		
22	Manufacture of leather goods		
23	Wood work and Furniture		
24	Ice-cream and Cold drink		
25	Petrol and Diesel Pump		
26	Fisheries		
27	Khadi and Village Industry		
28	Private Ferrise and L.T.C.		
29	Hard Coke Oven		
30	Private Hospital, Nursing		
31	Construction or maintenance of Road or in building construction		
32	Printing Press		
33	Mica Works (Factories and Establishment Excluding Mines)		
34	Handloom Industry		
35	Manufacture of Gold Articles of stistic design		
36	Refractories, Fire bricks ceramic Industry		
37	Any shop or Establiment		
38	Public Motor Transport		
39	Any University, Education Research of Iultural Institution		

1	2	3	4
40	Hotels, Eating House and Resturant		
41	Any, Woolen Carpet making of Showl weaving Establishment		
42	Dairies and Poultry Farms		
43	Auto Mobile Engineering		
44	Cinema Industry		
45	Rice Mills, Flour Mills, Dal Mills and Oil Mills		
46	Tailoring Industry		
47	Rubber and Rubber Compound Industry (in which manufacture of Tyre and Tube is also included)		
48	Electric and other type of bulb and Florence Tube Manufacture Industry		
49	Plastic Industry		
50	Cement Hume Pipe, Electric Pole and Railway sleeper Manufacture Industry		
51	Employment in Agriculture		
52	Book Binding Industry		
53	Employment of Glass Industries (Excluding Glass sheet)		
54	Dafti, Card Board, Mill Board, Corrageted Board, Gatta Board Manufactory		
55	Electronics Industry		
56	Plywood Industry		
57	Foundry Industry		
58	Biscuit Industry		
59	Coal Briquette Industry		
60	Private Security Agency		
61	Minor Engineering Industry (Excluding Automobile Engineering Shops)		
62	Mineral Grinding Industry		
63	Employment of Sweeping and Cleaning		
64	Sponse Iron, Rod manufacturing, and manufacturing of angle from Iron and Ingots		
65	Employment in Motor garages and workshops		
66	Employment of Motor Body Building,		
67	Employment of Mess, Canteens and Clubs		

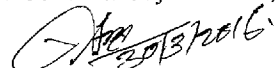
1	2	3	4
68	Employment in Chartered/Casts accounts, auditors, tax consultancy and Architect.		
69	Private Technical Institution, Coaching Institute and Private Schools (Non teaching)		
70	Employment in laying of Under ground cables, electric lines, water supply lines and sewerage Pipe line.		
71	Employment in Electricity Generator and supply		
72	Employment in Decoration of Pandal etc.		
73	Grinding and crushing of Mineral ore.		
74	Employment of Bus and Truck Driver/Conductor and Cleaners.		
75	Computer Coaching Institute etc.		
76	Employment of Mobile Tower etc.		
77	Employment of Sales Promotion(Regulation and Abolition) Act, 1976		

The rates of variable dearness allowance will be based on the average of all India Consumer Price Index on which the minimum rates of wages have been fixed/revised in the above schedule employments. There will be increase or decrease in wage of rates shown in column-4 with rise or fall as the case may be in aforesaid Index of the above schedule employments and it will be deemed as variable dearness allowance component. But even if index falls below the points on which minimum rates of wages have been fixed/revised, there will be not be any reduction in the minimum wages fixed/revised.

The payment of variable dearness allowance on the basis of average Consumer Price Index of July-December, 2015, which is 2nd half of 2015, will be payable from 01.04.2016.

[No-2/MW-2071/2010 L&T- 580 Ranchi, Dated 31/3/16]

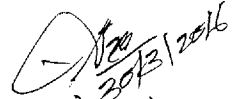
By Order of the Governor of Jharkhand,


(Budhdeo Bhagat)

Under Secretary to Government

ज्ञापक-2/एम०डबलू०-2071/2010,श्र०नि०-581 राँची, दिनांक 31/3/16

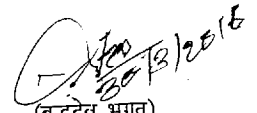
प्रतिलिपि:-अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, डोरन्डा, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि वे इस गजट की 500 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।


(बुद्धदेव भगत)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापक-2/एम०डबलू०-2071/2010,श्र०नि०-581 राँची, दिनांक 31/3/16

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव/पञ्चान सचिव के सचिव, श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।


(बुद्धदेव भगत)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापक-2/एम०डबलू०-2071/2010,श्र०नि०-581 राँची, दिनांक 31/3/16

प्रतिलिपि:-अवर सचिव, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/उप निदेशक, श्रम मंत्रालय (वेज सेल), भारत सरकार, नई दिल्ली/मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली/क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), धनबाद/निदेशक, लेबर ब्यूरो, शिमला/चण्डीगढ़/स्थानिक आयुक्त, झारखण्ड भवन नई दिल्ली/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी उप विकास आयुक्त/सचिव, न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्वद (केन्द्रीय) श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली/न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्वद के सभी सदस्यगण/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य गव्य विकास निगम, राँची/निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची/सभी विभागीय पदाधिकारियों (तकनीकी सहित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।


(बुद्धदेव भगत)

सरकार के अवर सचिव।

अनुसूची-1

क्रम सं०	अनुसूचित नियोजनों का नाम	अधिपूचना सं० एवं तिथि	जुलाई-दिसम्बर, २०१४ तक का औसत मूल्य सूचकांक जिस पर न्यूनतम मजदूरी देई निर्धारित की गई है।	जुलाई-दिसम्बर, २०१५ तक का औसत मूल्य सूचकांक जिस पर महंगाई भत्ता देय है।	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि (६-५)	बढ़े हुए मूल्य सूचकांक पर परिवर्तनशील महंगाई की अतिरिक्त राशि	तिथि जब से परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि देनी होगी।
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बाँध निर्माण एवं सिंचाई कर्मा के नियोजन	अधिपूचना सं०-१४६७, १४६८ दिनांक १४.०८.२०१५	२५३	२६७	१४	क) ₹० २१०.०० पर ₹० ११.६१ प्रतिदिन ख) ₹० २२० पर ₹० १२.१६ प्रतिदिन ग) ₹० २९० पर ₹० १६.०३ प्रतिदिन घ) ₹० ३३५.०० या अधिक ₹० १८.५२ प्रतिदिन	दिनांक ०१.०४.२०१६ से
2	पक्काई हुई खाद्य वस्तु बेचने वाली दुकानों के नियोजन	तदैव					
3	चर्म शोधनालय और चर्म विनिर्माणशालाओं के नियोजन	तदैव					
4	कोल्ड स्टोरेज के नियोजन	तदैव					
5	डिस्ट्रीलरीज के नियोजन	तदैव					
6	पाँट्रीज के नियोजन	तदैव					
7	बेकरीज एवं कनफेक्शनरीज के नियोजन	तदैव					
8	को-ऑपरेटिव सेक्टर के नियोजन	तदैव					

---:2:---

1	2	3	4	5	6	7	8
9	अल्यूमिनियम उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
10	खण्डसारी उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
11	केमिकल एण्ड फर्मास्यूटिकल उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
12	साबुन निर्माण उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
13	सिमेंट ग्री-स्टेज प्रोडक्शन उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
14	एसबेस्टस सिमेंट कारखाना के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
15	ग्लास शीट निर्माण के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
16	बन्दुक कारखाने के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
17	धार्मिक एवं सामाजिक संस्थान के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
18	पेपर उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
19	लॉण्ड्री एवं वार्शिंग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
20	होजियारी निर्माण के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
21	सिन्दूर एवं रंग बनाने का उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
22	चर्म-वस्तु निर्माण के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
23	उड वक्स एवं फर्निचर के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
24	आइस्क्रीम एवं कोल्ड ड्रिक्स के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
25	पेट्रोल एवं डीजल पम्प के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव

---:3:---

1	2	3	4	5	6	7	8
26	फिशरीज के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
27	खादी प्रगमोद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
28	ग्राइवेट फेरिज एण्ड एल०टी०सी० के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
29	हार्ड कोक भट्ठा के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
30	निजी अस्पताल मरीज होस्प एवं क्लीनिक्स के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
31	सड़क के निर्माण या अनुरक्षण अथवा निर्माण कार्यों के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
32	मुद्रणालय के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
33	अवरख कार्यों (खादानों को छोड़कर कारखानों एवं प्रतिष्ठान) के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
34	हैण्डलूम उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
35	स्वर्ण एवं रजत आभूषण तथा कलापूर्ण सामग्रियों के निर्माण के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
36	रिफ्रेजरीज फायर ब्रिक्स एवं सिरामिक्स उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
37	किसी दुकान अथवा प्रतिष्ठान के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
38	पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
39	किसी विश्वविद्यालय, शैक्षणिक शोध अथवा सांस्कृतिक संस्थान के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
40	होटल, भोजन गृहों एवं रेस्तरांओं के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव

---4:---

1	2	3	4	5	6	7	8
41	ऊनी कालीन बनाने वाले या शाल बुनने वाले किसी प्रतिष्ठान के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
42	डेयरी एवं पोल्ट्री फार्म के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
43	आटा मोबाइल इजीनियरिंग शॉप के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
44	सिनेमा उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
45	चावल मिलों, आटा मिलों, दाल मिलों, तेल मिलों के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
46	सिलाई उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
47	खर एवं खर कम्पाउंड उद्योग (जिसमें टायर एवं ट्यूब का निर्माण भी सम्मिलित है) के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
48	बिजली एवं अन्य प्रकार के बल्ब तथा फ्लोरोस् द्युब निर्माण उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
49	प्लास्टिक उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
50	सिमेन्ट से ह्यूम पाईप, बिजली का खम्भा एवं रेलवे स्लीपर बनाने के उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
51	कृषि नियोजन	अधिसूचना सं०-१४७३,१४७४दि नांक १४.०८.१५	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
52	चिह्नसंज्ञा उद्योग के नियोजन	अधिसूचना सं०-१४६७,१४६८दि नांक १४.०८.१५	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
53	शोशा उद्योग के नियोजन (ग्लासशीट को छोड़कर) के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
54	दस्ती, कार्डबोर्ड, पिल बोर्ड, कारोटेड बोर्ड, एस्टा बोर्ड या गत्ता पेपर बोर्ड निर्माण के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव

1	2	3	4	5	6	7	8
55	इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
56	एलाइउड उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
57	ढलाई (फाउन्डी उद्योग) के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
58	बिस्कुट उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
59	कोल ब्रिकेट उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
60	प्राइवेट सिवियरीटी एजेन्सी के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
61	लघु अभियंत्रण उद्योग (स्वचालित अभियंत्रण दुकानों को छोड़कर) के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
62	मिनरल ग्राइडिंग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
63	बुझाने और सफाई का कार्यों के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
64	सांज आयरन छड़ निर्माण एवं लोहा से एंगल बनाने तथा इनगोट के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
65	मोटर गैरज एण्ड वर्क्स शॉप्स के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
66	मोटर बॉडी बिल्डिंग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
67	मेस, कैन्टीन एवं क्लब के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
68	चाटेंड / कोस्ट एकाउन्ट्स / ऑडिटर / टैक्स कंसल्टेंसी एण्ड आर्किटेक्ट के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
69	प्राइवेट तकनीकी संस्थान, कोचिंग इंस्टीच्यूट, निजी स्कूल आदि के नियोजन (शिक्षण कार्य छोड़कर)	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
70	जमीन के नीचे वाटर सल्लाई पाईप लाईन एवं कंबुल बिछाने के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव

-----6:-----

0	1	2	3	4	5	6	7	8
71	इलेक्ट्रीसिटी जेनरेटर एवं सप्लाय के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
72	पंडाल आदि का साज सजा आदि के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
73	ग्राइडिंग एण्ड क्रशिंग ऑफ मिनरल ओर के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
74	सवारी एवं माल वाहक वाहन चलाने वाले	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
	ड्राइवर/खलासी/परिचालक आदि के नियोजन							
75	कम्प्यूटर शिक्षण संस्थान आदि के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
76	मोबाईल टावर इत्यादि के संचालन के कार्य	अधिसूचना सं०- १४६९, १४७० दिनांक १४.०८.१५	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
77	विक्रय प्रोत्साहन कर्मचारी (सेवा की शर्तें)		तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
	अधिनियम, १९७६ से आच्छादित नियोजन		तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव

(संख्या-2/एम०डब्ल्यू०-2071/2010, श्र०नि०-580 रांची, दिनांक 31/12/16)

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से, 16


(बुद्धदेव भगत)

सरकार के अवर सचिव।

Schedule-I

S/ No	Name of the Schedule Employment	Notification No. and Date	Average of indices of July-December, 2014 of Minimum rates of wages revised	Average of indices of January-June, 2015 on which V.D.A. is payable	Total Variation on Index (6-5)	Amount of V.D.A. on the basis of increase in Price Index slab wise	Date from which additional V.D.A. is payable
0	1	2	4	5	6	7	8
1	Dam Construction and Irrigation	Notification No-1467, 1468 Date 14-08-2015	253	267	14	(e) On Rs. 210.00 Rs. 11.61 per day (f) On Rs. 220.00 Rs. 12.16 per day (g) On Rs. 290.00 Rs. 16.03 per day (h) Rs. 335.00 and above Rs. 18.52 per day	From 01.04.2016
2	Shops Selling Cooked food stuff	-Do-					
3	Tanneries and Leather Manufactory	-Do-					
4	Cold Storage	-Do-					
5	Distilleries	-Do-					
6	Potteries	-Do-					
7	Bakeries and Confectionaries	-Do-				Monthly (e) On Rs. 5460.00 Rs. 301.93 per month (f) On Rs. 5720.00 Rs. 316.31 per month (g) On Rs. 7540.00 Rs. 416.96 per month (h) Rs. 8710.00 and above Rs.481.66 per month	

---:2:---

	1	2	3	4	5	6	7	8
8	Co-Operative Sector	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
9	Aluminum Industry	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
10	Khandsari Industry	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
11	Chemical Pharmaceutical Industry	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
12	Soap Making Industry	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
13	Cement Pre-Stressed Product Industry	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
14	Asbestos Cement factory	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
15	Glass Sheet Industry	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
16	Gun factory	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
17	Religious and Social Industry	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
18	Paper Industry	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
19	Laundry and Washing	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
20	Hosieries Manufacturing	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
21	Manufacture of Sindur and Rang	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
22	Manufacture of leather goods	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
23	Wood work and Furniture	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
24	Ice-cream and Cold drink	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
25	Petrol and Diesel Pump	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
26	Fisheries	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
27	Khadi and Village Industry	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
28	Private Ferries and L. T. C.	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
29	Hard Coke Oven	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
		-Do-						

---:3:---

0	1	2	3	4	5	6	7	8
30	Private Hospital, Nursing	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
31	Construction or maintenance of Road or in building construction	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
32	Printing Press	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
33	Mica Works (Factories and Establishment Excluding Mines)	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
34	Handloom Industry	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
35	Manufacture of Gold Articles of stistic design	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
36	Refractory's, Fire bricks ceramic Industry	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
37	Any shop or Establishment	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
38	Public Motor Transport	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
39	Any University, Educational Research or Cultural Institution	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
40	Hotels, Eating House and Restaurant	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
41	Any, Woolen Carpet making of Showl weaving Establishment	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
42	Dairies and Poultry Farms	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
43	Auto Mobile Engineering	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
44	Cinema Industry	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
45	Rice Mills, Flour Mills, Dal Mills and Oil Mills	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
46	Tailoring Industry	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
47	Rubber and Rubber Compound Industry (in which manufacture of Tyre and Tube is also included)	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
48	Electric and other type of bulb and Florence Tube Manufacture Industry	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
49	Plastic Industry	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-

----4:----

0	1	2	3	4	5	6	7	8
50	Cement Hume Pipe, Electric Pole and Railway sleeper Manufacture Industry	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
51	Employment in Agriculture	Notification No-1473, 1474 Date 14.08.2015	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
52	Book Binding Industry	Notification No-1467, 1468 Date 14.08.2015	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
53	Daffi, Card Board, Mill Board, Corrugated Board, Gatta Board Manufactory	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
54	Electronics Industry	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
55	Plywood Industry	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
56	Foundry Industry	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
57	Biscuit Industry	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
58	Coal Briquette Industry	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
59	Private Security Agency	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
60	Minor Engineering Industry (Excluding Automobile Engineering Shops)	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
61	Mineral Grinding Industry	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
62	Employment of Sweeping and Cleaning	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
63	Sponge Iron, Rod manufacturing, and manufacturing of angle from Iron and Ingots	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
64	Employment in Motor garages and workshops	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
65	Employment of Motor Body Building.	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
66	Employment of Mess, Canteens and Clubs	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
67	Employment in Chartered / Casts accounts, auditors, tax consultancy and Architect.	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
68	Cement Hume Pipe, Electric Pole and Railway sleeper Manufacture Industry	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
69	Private Technical Institution, Coaching Institute and Private Schools (Non teaching)	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-

-----5:-----

0	1	2	3	4	5	6	7	8
70	Employment in laying of Under ground cables, electric lines, water supply lines and sewerage Pipe line.	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
71	Employment in Electricity Generator and supply	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
72	Employment in Decoration of Pandal etc.	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
73	Grinding and crushing of Mineral ore.	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
74	Employment of Bus and Truck Driver/Conductor and Cleaners.	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
75	Computer Coaching Institute etc.	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
76	Employment of Mobile Tower etc.	Notification No-1469, 1470 Date 14.08.2015	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
77	Employment of Sales Promotion(Regulation and Abolition) Act, 1976	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-

[No-2/MW-2071/2010, L & T-80 Ranchi, Dated 31.12.14,
By order of the Governor of Jharkhand,

(Signature)
(Burdheo Bhagat)

Under Secretary to Government